

झारखंड सरकार
कार्यालय-वन संरक्षक एवं राज्य वन-वृक्ष विज्ञानी, झारखंड, राँची।
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड, राँची।
सीसल रेशा बिक्री हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना

शुद्धि-पत्र

Ref. : Advt No- PR. 230129

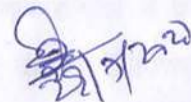
dated : 02.07.2020

वन संरक्षक एवं राज्य वन-वृक्ष विज्ञानी, झारखंड, राँची द्वारा पूर्व में 50 मे0 टन सीसल रेशा बिक्री हेतु क्रेताओं से निविदा दिनांक-05.08.2020 को अपराह्न 03:00 बजे तक मुहरबन्द लिफाफे में आमंत्रित किया गया था। COVID-19 के संक्रमण को देखते हुए निम्नवत् संशोधन किया जाता है।

कार्यक्रम सूची:

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक-20.08.2020 को अपराह्न 03:00 बजे तक
निविदा जमा करने का पता	कार्यालय-वन संरक्षक एवं राज्य वन-वृक्ष विज्ञानी, झारखंड, राँची। वन भवन, ब्लॉक-ई, पो0-डोरण्डा, राँची-834002.
निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक-20.08.2020 को अपराह्न 03:30 बजे
निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय-वन संरक्षक एवं राज्य वन-वृक्ष विज्ञानी, झारखंड, राँची। वन भवन, ब्लॉक-ई, पो0-डोरण्डा, राँची-834002

पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन की नियम एवं शर्तें पूर्व की भांति यथावत् रहेगी।


मुख्य वन संरक्षक एवं
राज्य वन-वृक्ष विज्ञानी,
झारखंड, राँची।

सीसल रेशा बिक्री हेतु निविदा

Technical Bid एवं Financial Bid की विवरणी निम्नवत् है, जिसका अलग-अलग लिफाफा (लिफाफा के उपर लिखा होना चाहिए) निविदादाता को निविदा समर्पित करने के समय देना अनिवार्य है:—

- A. Technical Bid- इस हेतु संलग्न प्रपत्र(क) भर कर देना अनिवार्य है।
- B. Financial Bid- इस हेतु संलग्न प्रपत्र(ख) के बिन्दू (1) के आलोक में सूचनायें देना अनिवार्य है।

Note:- Technical Bid की सभी शर्तों को पुरा करने के उपरान्त ही Financial Bid को खोला जायेगा।

प्रपत्र—(क)

1. फर्म/आवेदक का नाम —
2. पोस्टल पता—
3. टेलीफोन नं० — Landline-
(यदि हो तो) Mobile-
4. Email address -
5. यदि आवेदक किसी नियम/अधिनियम से संबंधित वाणिज्यिक कार्रवाई हेतु निबंधित है—

(i.) . हाँ/नहीं

(ii.) यदि हाँ तो कृपया निम्न सूचना दें:—

(क) निबंधन संख्या—

(ख) निबंधन वर्ष—

(ग) अवधि—

(घ) प्रमाण पत्र की प्रति—

6. GST—

(क) निबंधन संख्या—

(ख) निबंधन पत्र की प्रति—

(ग) दिनांक 31.03.2020 तक की Return की प्रति—

7. PAN-

(क) पैन संख्या—

(ख) पैन की छायाप्रति—

(ग) वर्ष 2018—19 एवं 2019—20 Assesment वर्ष के आयकर

Return की प्रति—

8. आवेदक द्वारा सीसल रेशा से संबंधित व्यवसाय का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव के साक्ष्य हेतु आवेदक द्वारा GST निबंधन / PAN कार्ड / दुकान का निबंधन अथवा किसी भी सरकारी विभाग द्वारा उक्त कार्य हेतु कराये गए निबंधन की प्रति संलग्न की जाय। निबंधन की तिथि से निविदा की तिथि तक की अवधि अनुभव अवधि हेतु मानी जाएगी।
9. निविदादाता को न्यूनतम 100 रुपये के E-Stamp paper पर नोटरी के समक्ष किये गये घोषणा पत्र की प्रति देनी होगी जिसमें इस आशय की सुचना हो कि उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
10. Earnest money का Bank Draft जो वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, राँची के पदनाम से होगा।

निविदादाता का हस्ताक्षर

प्रपत्र—(ख)

1. सीसल रेशा का दर प्रति कि०ग्रा०
रुपया से अंकित करना है।

निविदादाता का हस्ताक्षर

**Office of the Conservator of Forests and State
Silviculturist, Jharkhand, Ranchi.**

TENDER FORM

for

SALE OF SISAL FIBRE

**Ref : Tender Notice no. PR 230129 (Forest and
Environment) 2020-21 Dated- 02.07.2020**

Last date of receiving the filled-up tender forms : 05.08.2020 (till 15.00 hrs.)

Date of opening of tenders: 05.08.2020 (15.30 hrs.)

(No. of pages :1- 5)

T E N D E R F O R M
FOR

SALE OF SISAL FIBRE FROM THE GODOWN LOCATED AT LATEHAR

I/WE(Name) -----

S/O -----

Vill -----P.S.-----

P.O. -----District -----

Pin -----State -----

Company Name -----

Address -----

GST Registration no. -----

hereby offer my/our rate for purchase of 50 M.T. Sisal Fiber kept in godown at Latehar as follows :-

Approx. weight in M.T.	Rate of offer per kg. exclusive of all taxes, ex-godown.
50 M.T. Approx.	

- ❖ I/We hereby declare that I/we have read and understood the terms and conditions of the tender and I/we agree to abide by the same.
- ❖ In addition to the price of Sisal Fibre, I/we also agree to pay GST payable on the purchase of the said Sisal Fibre as laid down by the Government of Jharkhand, from time to time.
- ❖ I/We enclose the following documents herewith as required by the terms and conditions of the Tender Notice :-
 - (i) Receipt for the purchase of Tender Forms.
 - (ii) Bank draft No. _____ dtd. _____ of Rs 55,000/- drawn in favour of “Conservator of Forests and State Silviculturist, Jharkhand, Ranchi” payable at Ranchi by way of Earnest money.
 - (iii) Three specimen signatures duly attested by a Gazetted officer.
 - (iv) Certified copy of registered power of attorney which empowers me/ us to sign this tender on behalf of the company/ firm and certified copy of partnership deed of the company/ firm of which I/we am/ are owner/ partner(s)
 - (v) Photo copy of GST Registration number.
 - (vi) Photo copy of Address Proof of Industry/ Factory.
- ❖ I/We hereby declare that I/we shall be bound by my/our offer and by the terms and conditions of the Tender for sale, for a period of five months from the date of opening of the tender.

Signature _____

Date _____

Name of the company /firm:

Addres : _____

Terms & Conditions:

1. This tender is for the sale of 50 M.T.(approx.) of Sisal Fibre. The quantity of Sisal Fibre may vary depending on the factors beyond our control.
2. A Tenderer will submit his/their Tender (Tender form with Tender Terms & Conditions duly signed by himself) in the Office of The Conservator of Forest & State Silviculturist, Van Bhawan, Doranda, Ranchi for 50 M.T. It is essential for the Tenderer to submit Tender along with Technical Bid and Financial Bid (Both should be submitted in separate envelope, on the cover of each envelope Technical Bid and Financial Bid should be written. In the envelope of Technical Bid and Financial Bid, each and every essential documents should be present and duly signed by the Tenderer.
3. The Tender form along with form A and form B and Tender document can either be obtained from The Office of The Conservator of Forest & State Silviculturist, Jharkhand, Ranchi or by downloading the Tender form from the departmental website (forest.jharkhand.gov.in). The cost of Tender form is Rs. 500 (Rupee Five Hundred only) which is non-refundable. In case where Tender form is obtained from The Office of The Conservator of Forest & State Silviculturist, Jharkhand, Ranchi, the cost of Tender form will be deposited in cash. The **money receipt** will have to be attached (in original) with the Tender. In case the Tender form is obtained by uploading the same from the Departmental Website (forest.jharkhand.gov.in) Tenderer will attach the Bank Draft of Rs. 500/- (Rupee Five Hundred only drawn in favour of Conservator of Forest & State Silviculturist, payable at SBI, Doranda Branch, Ranchi). The said Bank Draft should be attached with the Technical Bid form. If the said procedure is not adopted, such Tender will not be considered to be valid.
4. Each tender should be accompanied by an Earnest Money of Rs. 55,000/- by way of a Bank Draft drawn in favour of “Conservator of Forests and State Silviculturist, Jharkhand, Ranchi” payable at SBI, Doranda Branch, Ranchi. Tender without the Earnest Money shall be summarily rejected. The Earnest Money shall be forfeited in the event of violation of any of the terms and conditions mentioned in this tender form.
5. Black listed person will not be eligible to participate / submit their tender.
6. Interested Tenderers shall quote separately the rates per kg. of Sisal Fibre ex-godown.
7. A certificate has to be attached with Tender form in which it should be clearly mentioned that the Tenderer has read and understood each and every condition of Tender and they accept all the terms & conditions. The incorrect Tender, Tender without EMD money and without receipt of Tender form purchase/Bank Draft will summarily be rejected.

8. The quoted rates shall be exclusive of GST. Attested photocopy of GST registration number should be attached along with the Tender form.
9. No tender will be entertained which is not signed by the authorized representative holding power of attorney on behalf of the Company/Industry/firm registered under the Indian Companies Act 1956 and in case of partnership firm registered under the Indian Partnership Act, by the managing partner of any of the partners duly authorized. The power of Attorney in original, the certificate of Incorporation and the Partnership deed will have to be produced at the time of opening of the tender.
10. All tenders shall be bound by their offer and these terms and conditions for a period of FIVE MONTHS from the date of opening of the tender.
11. Acceptance of the Tender by the competent authority shall be communicated to the Tenderer by registered post.
12. The purchaser shall be required to furnish a Security deposit in the form of Bank draft to the tune of 10 % (ten percent) of the total value of the material to be purchased, within such date as fixed in the letter of acceptance (approximately within a week). If the purchaser fails to deposit the **security deposit** within the prescribed time limit, the **earnest money** of the concerned Tenderer shall be forfeited.
13. The total sum of **EMD money** and **security deposit** will be adjusted in the amount of last installment. Successful Tenderer will be informed by way of registered post.
14. As per the Jharkhand Industrial and Investment Promotion Policy- The raw material generating units inside the state shall be given purchase preference to the local industries of the state whose production is dependent upon the supply of such raw material if the bid price quoted by the local industry is equal to the price quoted by any other bidder situated outside the state.
15. The purchaser shall have to deposit the total purchase price along with GST. Delivery of Sisal Fibre shall be given only when the purchaser will deposit the purchase price and GST. The lifting of the entire material should be completed by Three months positively from the date of acceptance of information of Tender.
16. If the purchaser fails to deposit the purchase price along with the applicable Taxes within stipulated period, it shall be assumed that the purchaser is not interested in purchasing the Sisal Fibre and in such event the amount of EMD shall be forfeited. The EMD so deposited will also be liable to be forfeited for breach of any of the terms and conditions mentioned herein.
17. The purchaser (s) shall also pay GST as per prevailing Government rules and laws.
18. The materials shall be delivered from ex-godown **Latehar** which is situated 108 Km. away from Ranchi. The cost of packing, forwarding etc. shall be borne by the Purchaser (s).

Contd....

19. The purchaser (s) shall furnish a list of person(s) with their signatures duly attested by him (them) to represent him (them) to deal with the Forest Department in case he (they) is (are) personally unable to do so.
20. The Sisal Fibre will be weighed at the time of delivery and the purchaser (s) or his (their) authorized representative will have to sign a statement mentioning the weight of the material at the time of delivery.
21. The delivered produce will be transported only with a valid **transit permit** issued by the Forest Department of Jharkhand and the purchaser will abide by the provisions of Indian Forest Act and the transit rules of Jharkhand Forest Department existing in force. He will have to produce permit /challans or other papers, if asked to do so by a Forest Officer or a Police Officer.
22. The Purchaser (s) shall furnish following documents duly self attested.
 - (a) Self attested xerox copy of PAN CARD issued by Income Tax Department.
 - (b) Self attested xerox copy of Adhar Card/ Voter ID. Card / Driving License for Identity Proof.
 - (c) Self attested xerox copy of Address Proof like Telephone Bill, Electricity Bill, Passport etc.
 - (d) Self attested xerox copy of Address Proof of Industry/Factory.
 - (e) Self attested xerox copy of GST Registration.
 - (f) All papers related to Technical Bid mentioned in Tender form.
 - (g) Tenderer or his firm is never blacklisted certificate has to be given by the tenderer on his letter pad or his firm letter pad.
23. In case of any dispute, the jurisdiction will be within the competent Court situated at Ranchi.
24. The undersigned reserves the right to:
 - ❖ accept or reject whole or any part of an offer.
 - ❖ cancel or withdraw the Tender notice.
 - ❖ accept or reject any deviation from these terms and conditions.

Chief Conservator of Forest
& State Silviculturist,
Jharkhand, Ranchi.

कार्यालय— वन संरक्षक एवं राज्य, वन वृक्ष विज्ञानी,
झारखंड, रांची।

सीसल रेशा की बिक्री के लिये निविदा प्रपत्र

प्रसंग: निविदा सूचना सं० पी.आर. 230129 (वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन
विभाग) 2020-21 दिनांक 02.07.2020

पूरित निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 05.08.2020 (03.00 बजे तक)

निविदाएँ खोलने की तिथि 05.08.2020 (03.30 बजे)

(पृष्ठों की संख्या: 1- 5)

**लातेहार अवस्थित भंडार गृह से सीसल रेशा की बिक्री के लिये
निविदा प्रपत्र (Tender Form)**

(नाम) -----

पिता का नाम -----

ग्राम ----- थाना -----

पी.ओ. ----- जिला -----

पिन ----- राज्य -----

कंपनी का नाम -----

पता -----

जी.एस.टी. पंजीकरण नं० -----

इसके द्वारा 50 एमटी की खरीद के लिए मेरी/हमारी दर की पेशकश किया जा रहा है जो लातेहार अवस्थित गोदाम में भंडारित सीसल रेशा के लिए निम्नवत् लागू है:-

अनुमानित वजन मे0टन में	कर रहित प्रस्तावित दर, पूर्व गोदाम
50 एम.टी. लगभग।	

- ❖ मैं / हम इसके द्वारा घोषित करते हैं कि मैंने / हमने निविदा के नियमों और शर्तों को पढ़ा और समझा है और / हम उसी का पालन करने के लिए सहमत हैं।
- ❖ सीसल रेशा की कीमत के अलावा, मैं / हम समय-समय पर झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित उक्त सीसल रेशा की खरीद पर देय GST का भुगतान करने के लिए भी सहमत हैं।
- ❖ मैं/ हम निविदा दस्तावेजों की शर्तों और नियमों द्वारा निर्देशित आवश्यक निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करते हैं: -

(i) निविदा प्रपत्रों की खरीद के लिए रसीद।

(ii) 55,000 / - रुपये का बैंक ड्राफ्ट सं. _____ तिथि _____ जो "वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, झारखंड, राँची" के पक्ष में निर्मित है एवं S.B.I. डोरण्डा, राँची में देय है।

(iii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित किए गए हस्ताक्षर का तीन नमूना

- 1.
- 2.
- 3.

(iv) पंजीकृत अटॉर्नी शक्ति की अभिप्रमाणित प्रति जो मुझे/हमें कंपनी/फर्म की ओर से इस निविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए शक्ति प्रदान करती है/कंपनी/फर्म की साझेदारी विलेख की अभिप्रमाणित प्रति जिसमें मैं/हम मालिक/भागीदार/भागीदार हैं।

(v) जीएसटी पंजीकरण संख्या की अभिप्रमाणित छाया प्रति।

(vi) उद्योग / कारखाने के पते के प्रमाण की अभिप्रमाणित छाया प्रति।

- ❖ मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हम अपने प्रस्ताव से और निविदा के खुलने की तारीख से पांच महीने की अवधि के लिए बिक्री के लिए निविदा नियमों और शर्तों से बंधे होंगे।

हस्ताक्षर की तारीख

कंपनी / फर्म का नाम:

पता: _____

निविदा के नियम एवं शर्तें:

1. यह निविदा सीसल रेशा के 50 मे0टन (लगभग) की बिक्री के लिए है। हमारे नियंत्रण से परे कारकों के कारण सीसल रेशा की मात्रा में भिन्नता हो सकती है।
2. निविदाकर्ता 50 M.T. के लिए वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, वन भवन, डोरण्डा, रांची के कार्यालय में अपना निविदा (निविदा के लिए उल्लिखित नियम एवं शर्तों के अनुपालन हेतु स्व-अभिप्रमाणित विधिवत हस्ताक्षर) के साथ निविदा जमा करेंगे। निविदा जमा करते समय निविदाकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि निविदा के साथ तकनीकी एवं वित्तीय बिड दोनों को अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में जमा किया जाय एवं दोनों मुहरबंद लिफाफे के उपर तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड लिखा होना आवश्यक है। तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में प्रत्येक आवश्यक दस्तावेज जिसमें निविदाकर्ता का हस्ताक्षर किया गया हो, डालना आवश्यक है।
3. निविदा प्रपत्र, प्रपत्र A एवं प्रपत्र B के साथ निविदा प्रपत्र या तो वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, झारखंड, रांची के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है या निविदा प्रपत्र को विभागीय वेबसाइट (forest.jharkhand.gov.in) से डाउनलोड करके प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र का मूल्य रु0 500 (पांच सौ रुपये मात्र) है जो अप्रत्यर्पणीय (non-refundable) है। कार्यालय से निविदा प्रपत्र क्रय किये जाने की स्थिति में प्रपत्र का मूल्य नकद रूप में जमाकर मनी रसीद प्राप्त करना होगा, जिसे निविदा प्रपत्र के साथ मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा। यदि विभाग की वेबसाइट (forest.jharkhand.gov.in) से डाउनलोड करके निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जाता है, तो निविदाकर्ता 500/- (पांच सौ रुपया) रुपये का बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न करें, (जो वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, झारखंड, रांची के पक्ष में निर्मित है एवं S.B.I. डोरण्डा शाखा में देय होगा)। उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर उक्त निविदा पर विचार नहीं किया जायगा।
4. प्रत्येक निविदा के साथ रांची में देय 55000/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में जो "वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, झारखंड, रांची" के पक्ष में तैयार किया गया हो एवं S.B.I. डोरण्डा, राँची में देय होगा, को संलग्न करना आवश्यक है। अग्रधन राशि (EMD) के बिना जमा किया गया निविदा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। इस निविदा प्रपत्र में उल्लिखित किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अग्रधन राशि (EMD) Forfeit कर लिया जाएगा।
5. श्याम सूचीबद्ध (Black listed) व्यक्ति इस निविदा में भाग लेने/निविदा जमा करने के लिए पात्र नहीं होगा।
6. इच्छुक निविदादाता प्रति किलोग्राम पूर्व गोदाम सीसल रेशा के दर का उद्धरण करेंगे।
7. निविदा प्रपत्र में निविदादाता अनिवार्य रूप से प्रमाणित करेंगे कि उन्होंने निविदा के सभी शर्तों को पढ़ा और समझा है तथा वे सभी शर्तों को स्वीकार करते हैं। त्रुटिपूर्ण निविदा अथवा बिना अग्रधन राशि (EMD) एवं

निविदा प्रपत्र क्रय रसीद/बैंक ड्राफ्ट के समर्पित निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा तथा वैसी निविदा को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

8. उद्धृत दर (Quoted rate), GST रहित (exclusive) रहना चाहिए। GST पंजीकरण संख्या की अभिप्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न रहना आवश्यक है।
9. किसी भी ऐसे निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा जो कि कंपनी/उद्योग/फर्म की ओर से भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत प्राधिकार के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है और भारतीय भागीदारी अधिनियम के तहत पंजीकृत साझेदारी फर्म के मामले में है। किसी भी भागीदार का प्रबंध भागीदार विधिवत रूप से अधिकृत है। निविदा खोलने के समय अटॉर्नी की शक्ति मूल रूप में, निगमन का प्रमाण पत्र एवं साझेदारी विलेख, को प्रस्तुत करना होगा।
10. सभी निविदाएं उनके प्रस्ताव और टेंडर खोलने की तिथि से पांच महीने की अवधि के लिए इन नियमों और शर्तों के अनुपालन के लिए बाध्य होंगे।
11. सक्षम प्राधिकार द्वारा निविदा की स्वीकृति को पंजीकृत डाक द्वारा सफल निविदाकर्ता को सूचित की जाएगी।
12. क्रेता द्वारा खरीदी जाने वाली सीसल रेशा के कुल मूल्य के 10% (दस प्रतिशत) प्रतिभूति राशि Bank Draft के रूप में, स्वीकृति पत्र में तय किये गये तिथि से लगभग एक सप्ताह के अन्दर जमा करना आवश्यक है। यदि क्रेता निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रतिभूति राशि जमा करने में विफल रहता है, तो संबंधित निविदाकर्ता का अग्रधन राशि (EMD) राशि जब्त (Forfeit) कर लिया जाएगा एवं निविदा रद्द माना जायेगा।
13. सफल क्रेता द्वारा जमा अग्रधन एवं प्रतिभूति की राशि के कुल योग की राशि को अंतिम किस्त के देय राशि से समायोजित की जायेगी।
14. स्थानीय उद्योग के निविदाकर्ता एवं राज्य के बाहर के निविदाकर्ता (Tenderer) दोनों के द्वारा उद्धृत मूल्य की बोली बराबर होने की स्थिति में झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति के अनुसार राज्य के स्थानीय उद्योगों (जिनका उत्पादन कच्चे माल की आपूर्ति पर निर्भर रहती है) को खरीद की प्राथमिकता दी जायेगी।
15. क्रेता को GST के साथ कुल क्रय मूल्य जमा करना होगा। सीसल रेशा की आपूर्ति (Supply) तभी दिया जाएगा जब क्रेता द्वारा पूर्ण क्रय मूल्य और GST जमा किया जायेगा। सम्पूर्ण सीसल रेशा का उठाव तीन माह तक पूरा किया जाना आवश्यक है।
16. यदि क्रेता निर्धारित अवधि के भीतर लागू करों के साथ क्रय मूल्य जमा करने में विफल रहता है, तो यह माना जाएगा कि क्रेता को सीसल रेशा खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है और ऐसी स्थिति में जमा अग्रधन राशि (EMD) को जब्त कर लिया जाएगा। उपरोक्त उल्लेखित किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के लिए अग्रधन राशि (EMD) के Forfeiture के लिए क्रेता उत्तरदायी होगा।

17. क्रेता (ओं) को प्रचलित सरकारी नियमों और कानूनों के अनुसार GST का भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर पर करना होगा।
18. सामग्रियों को पूर्व-गोदाम लातेहार (जो राँची से 108 किलोमीटर की दूरी पर है) से आपूर्ति किया जाएगा। लोडिंग अग्रेषण आदि की लागत क्रेता (ओं) द्वारा वहन की जाएगी।
19. व्यक्तिगत रूप से असमर्थ होने की स्थिति में वन विभाग से निपटने के लिए क्रेता (ओं) को उनके द्वारा विधिवत रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके द्वारा अभिप्रमाणित हस्ताक्षर की सूची वन विभाग को प्रस्तुत करेंगे।
20. सीसल रेशा का वजन आपूर्ति के समय किया जाएगा और क्रेता (ओं) या उसके (उनके) द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि को आपूर्ति के समय सामग्री के वजन का उल्लेख करते हुए एक बयान पर हस्ताक्षर करना होगा।
21. आपूर्ति किये गये उत्पाद केवल झारखंड के वन विभाग द्वारा जारी किए गए पारगमन परमिट के साथ किया जाएगा और क्रेता भारतीय वन अधिनियम और झारखंड वन विभाग के पारगमन नियमों के प्रावधानों का पालन करेगा। अगर किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी के द्वारा पारगमन परमिट प्रस्तुत करने की मांग की जाती है तो उसे परमिट/चालान या अन्य कागजात पेश करने होंगे।
22. क्रेता (ओं) को निम्नलिखित दस्तावेजों को स्वतः अभिप्रमाणित किया जाना आवश्यक है:-
 - (a) आय विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की सत्यापित (Attested) छायाप्रति।
 - (b) आधार कार्ड/वोटर आई.डी. पहचान पत्र के लिए कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस की सत्यापित (Attested) छायाप्रति।
 - (c) एड्रेस प्रूफ के प्रमाण स्वरूप जैसे दूरभाष विपत्र, विद्युत विपत्र, पासपोर्ट आदि की सत्यापित (Attested) छायाप्रति।
 - (d) उद्योग/कारखाने के पते के प्रमाण की सत्यापित (Attested) छायाप्रति।
 - (e) जीएसटी पंजीकरण की सत्यापित (Attested) छायाप्रति।
 - (f) तकनीकी बोली से संबंधित सभी कागजात निविदा प्रपत्र में संलग्न रहना आवश्यक है।
 - (g) निविदादाता या इनका फार्म पूर्व में कभी भी श्याम सूचिबद्ध नहीं हुआ है का स्व-प्रमाण पत्र फार्म के पैड पर दिया जाना है।
23. किसी भी प्रकार के विवाद के मामले में, राँची अवस्थित सक्षम न्यायालय में वाद का निपटारा किया जायेगा।
24. अधोहस्ताक्षरी का अधिकार निम्नलिखित मामले में सुरक्षित है:-
 - ❖ किसी प्रस्ताव के पूरे या किसी भाग को स्वीकार या अस्वीकार करना।
 - ❖ निविदा सूचना को रद्द या वापस लेना।
 - ❖ इन नियमों और शर्तों से किसी भी विचलन को स्वीकार या अस्वीकार करना।

मुख्य वन संरक्षक एवं
राज्य वन वृक्ष विज्ञानी,
झारखंड, राँची।